

कार्यालय—निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा-मा/माध्य/अ-4/क्रमोन्नति/राउमावि/21307/2022-23/

दिनांक : 05.10.2022

जिला शिक्षा अधिकारी
(मुख्यालय)—माध्यमिक
नागौर।

विषय : राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बाटलिया, ब्लॉक—नावां, जिला—नागौर को सीधे ही राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय स्तर पर क्रमोन्नत किये जाने के संबंध में।

प्रसंग : शासन का पत्र क्रमांक : प.4(6) शिक्षा-1/व.घो. 11/2022 जयपुर, दिनांक : 04.10.2022

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के क्रम में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बाटलिया, ब्लॉक—नावां, जिला—नागौर (यूडाईस कोड—08141400801) को सीधे ही राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बाटलिया, ब्लॉक—नावां, जिला—नागौर में क्रमोन्नत किये जाने की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है :-
शर्त :-

1. विद्यालय क्रमोनयन सत्र 2022-23 से प्रारंभ होगा।
2. स्वीकृति के वर्ष सुविधानुसार कक्षा 09 व 10 एक साथ एवं आगामी सत्रों में क्रमशः कक्षा—11 एवं 12 प्रारम्भ की जा सकेगी।
3. माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर से मान्यता हेतु निर्धारित 04 प्रपत्रों में सूचना की पूर्ति करवाकर मान्यता प्राप्त करने की कार्यवाही करें।
4. राउप्रावि से राउमावि में क्रमोन्नत होने पर विद्यालय में वर्तमान में कार्यरत प्रधानाध्यापक, राउप्रावि के पद पर कार्यरत वरिष्ठ अध्यापक को उसके विषय के वरिष्ठ अध्यापक के पद पर समायोजित किया जायेगा। इसी प्रकार से राउप्रावि में वर्तमान में कार्यरत शारीरिक शिक्षक ग्रेड—IIA को क्रमोन्नत राउमावि के शारीरिक शिक्षक के पद पर समायोजित किया जायेगा।
5. क्रमोन्नत होने वाले राउप्रावि में कार्यरत शिक्षक ग्रेड—IIA लेवल—1 व लेवल—2 के ऐसे अध्यापक जिनका 6डी में सैटअप परिवर्तन हो चुका है, उनका समायोजन क्रमोन्नत राउमावि में उनके विषय के स्वीकृत पद पर किया जायेगा।
6. शेष शिक्षक ग्रेड—IIA लेवल—1 व लेवल—2 के अध्यापकों को प्रविष्टि शाला दर्पण में 3 बी में की जावेगी एवं ये अध्यापक 6 डी की कार्यवाही होने तक एवं अन्य शिक्षकों के पदस्थापन होने तक क्रमोन्नत विद्यालय में ही कार्य करते रहेंगे तथा इनका वेतन आहरण पूर्व की भांति प्रारंभिक शिक्षा विभाग से किया जावेगा।
7. पदों को आदेश जारी होने की तिथि से प्रभावी माना जावेगा। इन पदों पर नियमानुसार सीधी भर्ती/पदोन्नति की रिक्तियों के लिए गणना हेतु गणना की जा सकेगी।
8. उक्त विद्यालय में कला संकाय एवं संकाय के अन्तर्गत 3 ऐच्छिक विषयों का निर्धारण विद्यार्थियों की आवश्यकता एवं रुचि के आधार पर विद्यालय से प्रस्ताव प्राप्त कर प्रारम्भ किया जायें तथा उक्त प्रस्ताव विषय आवंटन हेतु इस कार्यालय को यथासमय आवश्यक रूप से प्रेषित करें।
9. स्टाफिंग पैटर्न के विन्दू संख्या 6.1 के अनुसार नवक्रमोन्नत उच्च माध्यमिक विद्यालयों में, प्रथम वर्ष में केवल ऐच्छिक विषय के व्याख्याता ही देय होंगे। अनिवार्य विषयों (हिन्दी, अंग्रेजी) के शिक्षण हेतु व्याख्याता के स्थान पर वरिष्ठ अध्यापक दिये जावे।
10. स्टाफिंग पैटर्न के विन्दू संख्या 6.3 के अनुसार नवक्रमोन्नत विद्यालय में नवसृजित व्याख्याताओं के पदों को भरे जाने तक वरिष्ठ अध्यापक संवर्ग में ऑपरेट किया जायेगा परन्तु इन पदों की गणना सीधी भर्ती/पदोन्नति हेतु व्याख्याता संवर्ग में ही की जावे।
11. विद्यालय के क्रमोन्नति आदेश जारी करने से पूर्व विद्यालय का नाम, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला न ग—राईस कोड आदि की जानकारी दे दी जायेगी जारी करें।

43

12. उक्त क्रमोन्तत विद्यालयों में भवन की व्यवस्था समग्र शिक्षा अभियान, नाबार्ड, एम.पी. एल.ए.डी, एम.एल. ए. एल.ए.डी और जनसहयोग आदि से की जावेगी।

निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
6. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
7. शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग, जयपुर को सूचनार्थ।
8. सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर।
9. वित्तीय सलाहकार/संयुक्त निदेशक (कार्मिक)/उप निदेशक (योजना/सांख्यिकी) कार्यालय हाजा।
10. संभागीय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, अजमेर संभाग, अजमेर।
11. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान, नागौर।
12. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं ब्लॉक संदर्भ केंद्र प्रभारी, समग्र शिक्षा अभियान, नावां, नागौर।
13. अनुभाग अधिकारी संस्थापन-एबी/सी/एफ/बजट/कम्प्यूटर/आदर्श वि./शाला दर्पण को अपडेशन हेतु।
14. माध्यमिक अनुभाग के प्रभाग अ-1 को पदों के संबंध में आवश्यक कार्यवाही हेतु।
15. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
16. शैक्षिक प्रकोष्ठ अधिकारी, अनुभाग हाजा।
17. रक्षित पत्रावली।



उपनिदेशक(माध्यमिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय—निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा—मा/माध्य/अ-4/अति.संकाय/विषय/21327/2022-23

दिनांक : 05.10.2022

जिला शिक्षा अधिकारी
(मुख्यालय)—माध्यमिक
नागौर।

विषय : राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मिंडा, ब्लॉक—नावां, जिला—नागौर में अतिरिक्त विज्ञान संकाय खोलने के संबंध में।

प्रसंग : शासन का पत्र क्रमांक : प. 4(3) शिक्षा-1/2022 जयपुर दिनांक : 04.10.2022।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के क्रम में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के बजट भाषण वर्ष 2022-23 के बिन्दु संख्या 11 के अनुसरण में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मिंडा, ब्लॉक—नावां, जिला—नागौर (यूडाईस कोड—08141405705) में अतिरिक्त विज्ञान संकाय खोलने की स्वीकृति वित्त (व्यय-1) विभाग की आई.डी. संख्या 102201966 दिनांक : 11.04.2022 के द्वारा प्राप्त सहमति के अनुसरण में अग्रांकित शर्ताधीन प्रदान की जाती है।

शर्त :-

1. स्वीकृत अतिरिक्त विज्ञान संकाय सत्र 2022-23 से नियमित रूप से प्रारम्भ होगा।
2. स्वीकृति के वर्ष सुविधानुसार कक्षा-11 एवं 12 एक साथ प्रारंभ की जा सकती है।
3. नवीन स्वीकृत संकाय में तीन विषय एसडीएमसी की अभिशंखा पर स्वीकृत किए जा सकेंगे।
4. अतिरिक्त संकाय प्रारम्भ किए जाने से पूर्व विद्यालय का नाम, स्तर, विद्यालय में पूर्व से संचालित संकाय, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला व यू-डाईस कोड आदि की जांच कर ही आदेश जारी करें।

निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
6. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
7. शासन उप सचिव—प्रथम, शिक्षा(ग्रुप-1) विभाग राजस्थान, जयपुर को सूचनार्थ ।।
8. सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर।
9. वित्तीय सलाहकार/संयुक्त निदेशक (कार्मिक)/उप निदेशक (योजना/सांख्यिकी) कार्यालय हाजा।
10. संभागीय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, अजमेर, संभाग, अजमेर।
11. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान, नागौर।
12. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं ब्लॉक संदर्भ केन्द्र प्रभारी, समग्र शिक्षा अभियान, नावां, नागौर।
13. अनुभाग अधिकारी संस्थापन—एबी/एफ/सी/बजट/कम्प्यूटर/आदर्श वि./शाला दर्पण को अपडेशन हेतु।
14. माध्यमिक अनुभाग के प्रभाग अ-1 को पदों के संबंध में आवश्यक कार्यवाही हेतु।
15. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
16. शैक्षिक प्रकोष्ठ अधिकारी, अनुभाग हाजा।
17. रक्षित पत्रावली।

उपनिदेशक(माध्यमिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर